राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामकिशोर बनाम रामेश्वर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	324/2010	
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2010 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि खसरा नम्बर 358, 360, 362, 458 से 461, 487 से 494 कुल किता 15 रकबा 7.27 हैक्टेयर ग्राम मलिकपुर, सीतारामपुरा, तहसील चौमू का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कब्जे को प्राथमिकता के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी का 1/16 हिस्सा अलग से अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया एवं बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कब्जे के मध्यनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2010 के विरुद्ध यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से साक्ष्य सबूत का तनकीदार परिक्षण/विवेचन किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है एवं अपीलार्थी द्वारा जिन आपत्तियो को उद्धरित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, वह स्वीकार योग्य प्रतीत नही होते है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16/07/2010 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाता है एवं अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	